फैसला सुरक्षित

उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

दाण्डिक अपील संख्या 27/2017

अनुज चौहान .....अपीलार्थी।

द्वारा–श्री अरविंद वशिष्ठ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता।
श्री इमरान अली खान की सहायता से,
अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता।

– बनाम –

उत्तराखंड राज्य .....प्रत्यर्थी।

द्वारा – श्री जे.एस. विर्क, विद्वान अधिवक्ता
श्री राकेश जोशी विद्वान ब्रीफ होल्डर राज्य के लिए, के साथ

आरक्षित : 07.06.2022

परिदत्त : 02.09.2022

कोरमः

श्री संजय कुमार मिश्रा, जे.

श्री रमेश चंद्र खुल्बे, जे.

प्रति : श्री संजय कुमार मिश्रा, जे.

1. इस अपील में, अपीलकर्ता अनुज चौहान ने सेशन न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा सेशन परीक्षण संख्या 256/2012 अन्तर्गत धारा 302, 504 भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके पश्चात् संक्षिप्तता के लिए ''दंड संहिता'' के रूप में निर्दिष्ट) और अन्तर्गत धारा 27 एवं 30 शस्त्र अधिनियम (इसके पश्चात् संक्षिप्तता के लिए ''शस्त्र अधिनियम'' के रूप में निर्दिष्ट) में दिनांक 19.12.2016 के निर्णय और आदेश, जिसके द्वारा धारा 302 भा0द0सं0 में आजीवन कारावास और 5,000/– रूपये जुर्माना और चूक की दशा में अतिरिक्त छह महीने के कठोर कारवास और धारा 27 शस्त्र अधिनियम में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 2,000/–रूपये जुर्माना और चूक की दशा में तीन महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, पर आपत्ति की गयी है।

2. इस मामले में पीडब्लू 1 मुकेश कुमार शिकायतकर्ता का छोटा भाई मृतक संजय निर्माण गतिविधियों का व्यवसाय कर रहा था। अपीलकर्ता–अनुज चौहान ने रविंदर के लिए एक नौकरी दिलाने का वादा किया और इसके लिए उसे मृतक द्वारा 70, 000/– रूपये का भुगतान किया गया। जब अपीलकर्ता–अनुज चौहान ने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो मृतक ने पैसे वापस करने के लिए उनसे कई बार संपर्क किया। 08.07.2012 को मृतक संजय और पीडब्लू 2 रवि कुमार अपीलकर्ता अनुज चौहान के शिवालिक नगर स्थित कार्यालय गए और उनसे पैसे वापस करने को कहा। जब वे वहां पहुंचे, तो अपीलकर्ता अपने कार्यालय में मौजूदा नहीं था, लेकिन बाद में लगभग 11:00–11:30 बजे पुर्वाह्न पर वह शिवालिक नगर, रानीपुर में स्थित अपने कार्यालय में पहुंचा। वहाँ मृतक संजय ने अपीलकर्ता से पैसे वापस करने के लिए कहा, जिसके परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता ने उसे गाली देना शुरू कर दिया। जब मृतक ने अपीलकर्ता द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का विरोध किया, तो अपीलकर्ता–अनुज चौहान ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और मृतक के सिर पर गोली मार दी, जिसके चलते मृतक जमीन पर गिर गया। उसे भूमा निकेतन अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, जहां उसका कुछ इलाज किया गया और जॉली ग्रांट अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां से उसे दिल्ली के एम्स में स्थानांतरित कर दिया गया। शुरुआत में, घटना की तारीख को, पीडब्लू 1 मुकेश कुमार ने पुलिस स्टेशन–रानीपुर के समक्ष एक रिपोर्ट दर्ज की, जिसके लिए मामला अपराध संख्या 252/2012 दंड संहिता की धारा 307 के तहत दर्ज किया गया और मामले का अन्वेषण आरम्भ किया गया।

अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण अधिकारी ने गवाहों की परीक्षा की, घटनास्थल का दौरा किया, घटनास्थल का नक्शा तैयार किया, घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी और साधारण मिट्टी जब्त की। उस तारीख को ही, उसने अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया जब वह अपने वाहन अर्थात् सफेद रंग की टाटा सफारी में यात्रा कर रहा था और उसके कब्जे से एक रिवॉल्वर 32 कैलिबर के साथ पांच जीवित और एक खाली कारतूस जब्त किए गए। मृतक की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद अन्वेषण अधिकारी ने मामले में दंड संहिता की धारा 302, 504 के तहत मामला परिवर्तित किया और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 और 30 के तहत अपराधों को भी जोड़ा। पोस्टमार्टम परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात् विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ की रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद, अन्वेषण अधिकारी ने अपीलकर्ता के खिलाफ दंड संहिता की धारा 302, 504 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 और 30 के तहत आरोप–पत्र प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष ने इनकारी का तर्क लिया और यह भी मामला बनाने की कोशिश की कि दुर्घटनावश गोली चल जाने के कारण मृतक को चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई।

3. अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए कुल 15 साक्षियों को परीक्षित कराया। पी.डब्ल्यू. 2 रवि कुमार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराया गया एकमात्र चश्मदीद गवाह हैं। पी.डब्लू. 1 मुकेश कुमार शिकायतकर्ता है, जो मृतक का बड़ा भाई है। पी.डब्लू. 3 रविंदर कुमार, मृतक संजय कुमार द्वारा अपीलकर्ता को 70,000/– रुपये के भुगतान के बारे में बात करता है। वह घटना के बाद का गवाह भी है। पी.डब्लू. 6 शिशिर चौधरी भी घटना के बाद का गवाह है। वह शिवालिक नगर में घटना से ठीक पहले मृतक और पी.डब्लू. 2 रवि कुमार की उनसे मुलाकात के बारे में भी बात करता है। पी.डब्लू. 5 देशपाल ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। पीडब्लू10 जुबेर अहमद अपीलकर्ता से धन की वसूली के संबंध में मृतक और अन्य लोगों के बीच हुई चर्चा के संबंध में एक गवाह है। पी.डब्लू. 13 रामू घटनास्थल से रक्तरंजित मिट्टी और साधारण मिट्टी की जब्ती का गवाह है। शेष गवाह शासकीय गवाह हैं। पी. डब्लू. 4 डॉ. कुलदीप कुमार डॉक्टर हैं, जिन्होंने पहली बार मृतक को देखा और मृतक के सिर पर एक आग्नेयास्त्र के कारण चोट पाई, जब मृतक जीवित था। उन्होंने मृतक का प्राथमिक उपचार किया और उसे जॉली ग्रांट अस्पताल रेफर कर दिया। नई दिल्ली के पुलिस स्टेशन सफदरगंज एन्क्लेव से जुड़े पुलिस उपनिरीक्षक पीडब्लू 8 बलवीर सिंह ने एम्स, दिल्ली से सूचना मिलने पर शव की एक मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की है। पीडब्लू 9 हेड कांस्टेबल पी. आसाराम ने प्राथमिकी दर्ज की है। पीडब्लू 11 डॉ. संजय कुमार, एम्स के एक डॉक्टर, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम किया है। पीडब्लू 12 सांता राम एक पुलिस कांस्टेबल है, जो उस समय मौजूद था, जब अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से पांच जीवित और एक खाली कारतूस के साथ एक आग्नेयास्त्र बरामद किया गया। उसने न्यायालय में जिंदा और खाली कारतूसों के साथ आग्नेयास्त्र की पहचान की है। पीडब्लू 14 विपिन बहुगुणा, सब इंस्पेक्टर, रानीपुर, मामले के अन्वेषण अधिकारी हैं। पीडब्लू 15 मदन मोहन यादव विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ के वैज्ञानिक अधिकारी हैं, जिन्होंने उन्हें भेजे गए आग्नेयास्त्र और भौतिक वस्तु की बैलिस्टिक जांच की है।

4. इन चश्मदीद गवाहों के परीक्षण के अलावा, अभियोजन पक्ष ने कई अन्य दस्तावेजी प्रदर्शो जैसे कि प्राथमिकी, फर्द बरामदगी खून से सनी और साधारण मिट्टी को कब्जे में लिए जाने की फर्द, रिवॉल्वर को कब्जे में लिए जाने सम्बन्धी फर्द, अपीलार्थी का रक्त रंजित शर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट और एसएफएसएल रिपोर्ट आदि पर भी विश्वास व्यक्त किया।

5. दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने अपनी ओर से दो गवाहों को परीक्षित कराया है। इनमें डी डब्ल्यू1–अजय मोहन पालीवाल, एक हस्तलेख विशेषज्ञ और डीडब्ल्यू 2 विनोद कुमार, उप महाप्रबंधक, आइडिया कम्युनिकेशन लिमिटेड शामिल हैं।

6. अभिलेखों पर उपलब्ध साक्ष्यों, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर विचार करने के बाद, विद्वान सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है कि अपीलकर्ता की ओर से मृतक की हत्या करने का एक हेतुक था और अपीलकर्ता द्वारा मृतक की हत्या के संबंध में चश्मदीद गवाहों के बयान में कोई विसंगति नहीं है और अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को सभी युक्तियुक्त से परे साबित कर दिया है। इसलिए, उसने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया एवं तद्नुसार उसे उपरोक्त प्रकार की सजा सुनाई।

7. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद वशिष्ठ ने यह अभिकथन किया कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की सामग्री, जिसमें पीडब्लू1 मुकेश कुमार एक हस्ताक्षरकर्ता थे, मामले का एक अलग कथानक प्रस्तुत करती है। उन्होंने पुनः अभिकथन किया कि बैलिस्टिक रिपोर्ट नकारात्मक है या अधिकतम यह कहा जा सकता है कि यह अनिर्णायत्मक है और इसलिए, अभियोजन मामले पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पुनः अभिकथन किया कि यदि अभियोजन पक्ष का मामला स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध नहीं बनता है, क्योंकि घटना बिना किसी पूर्व–विचार के क्षणिक आवेग में हुई थी, इसलिए, अपीलकर्ता को गैर–इरादतन हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए था और तदनुसार सजा दी जानी चाहिए थी।

8. श्री जे.एस. विर्क, विद्वान उप महाधिवक्ता ने यह अभिकथन किया कि जब अभियोजन पक्ष ने एक चश्मदीद गवाह–पीडब्लू 2 रवि कुमार का एक अकाट्य वृतान्त प्रस्तुत किया है, तो अन्य सभी पहलू कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विद्वान उप महाधिवक्ता ने यह अभिकथन किया होगा कि पीडब्लू 1 मुकेश कुमार द्वारा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में दिया गया बयान किसी भी रूप में मौलिक साक्ष्य नहीं है। पहला, इस तरह का बयान देने की आवश्यकता नहीं है और दूसरा, इस तरह का बयान देने की कोई कानूनी वैधता नहीं है। पीडब्लू1 मुकेश कुमार द्वारा दिया गया बयान मौखिक साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था। विद्वान उप महाधिवक्ता द्वारा पुनः यह अभिकथन किया गया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट नकारात्मक नहीं है। इससे पता चलता है कि बंदूक का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मृतक के सिर से बरामद धातु के दो टुकड़ों पर विशेष ग्रूविंग या विशेषताएँ मौजूदा नहीं थीं। अतः इस दृष्टि से कि

अभिलेख पर उपलब्ध स्पष्ट और अक्ाट्य साक्ष्य की दृष्टि में अपीलकर्ता को मृतक संजय की हत्या के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाए गए वैकल्पिक तर्क का प्रतिवाद करते हुए श्री जे.एस. विर्क, विद्वान उप महाधिवक्ता द्वारा यह पुनः अभिकथन किया गया कि घटना तब हुई जब मृतक ने अपीलकर्ता से पैसे वापस करने की मांग की और अपीलकर्ता ने स्वयं मृतक के साथ दुर्व्यवहार किया और फिर उस पर बहुत करीब से गोली चलाई और गोली उसके शरीर के मर्मस्थल अर्थात् सिर पर लगी, तथा इलाज के कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि घटना क्षणिक आवेग में घटित हुई थी और अपीलकर्ता को हत्या का अपराध करने के लिए उचित रूप से दोषी ठहराया गया है। इसलिए, राज्य की ओर से विद्वान उप महाधिवक्ता द्वारा यह अभिकथन किया गया कि अपील में कोई गुण नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

9. यह आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है, जो काफी विस्तृत है और अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुति से यह स्पष्ट है कि बचाव पक्ष इस तथ्य पर विवाद नहीं करता है कि मृतक की मृत्यु की प्रकृति हत्या थी और यह गोली की चोट के कारण हुई थी, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए हमने पीडब्लू 11 डॉ. संजय कुमार, जिन्होंने मृतक के शव की पोस्टमॉर्टम परीक्षा की और पोस्टमॉर्टम परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श ए–8 तैयार की, के साक्ष्य की भी जाँच की। उसके साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसने यह पाया कि मृतक के सिर पर पट्टी बंधी थी और पट्टी खोलने पर, उसे भूरे रंग के किनारों और अनियमित घर्षण के साथ 2.0 सेमी X 1.5 सेमी आकार की अंडाकार आकृति की चोट मिली। घाव 1 सेंटीमीटर के क्षेत्र में काला हो गया था। मस्तिष्क के खुलने पर, उन्होंने मस्तिष्क में चोट पाई और दो धातु के टुकड़े भी बरामद किए, जिन्हें बैलिस्टिक जांच के लिए संरक्षित किया गया। पीडब्लू 11 डॉ0 संजय कुमार द्वारा तैयार पोस्टमॉर्टम परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में यह देखा गया है कि उसने निम्नलिखित चोटे पाई–

> ''1. बायें टेम्पोरल क्षेत्र पर आगे पीछे की दिशा में 3 सेमी. सिलाई वाली चोट है। जो मस्तिष्क के मध्य रेखा (करोटि चापछड़) से 10.0 सेमी0 दूरी पर और बांये कान के ऊपरी हिस्से से 5.0 सेमी0 ऊपर स्थित है। सिलाई हटाने पर ये आकार में अण्डाकार है, जिसकी माप 2.5 X 1.5 सेमी0 है। जिसमें अनियमित भूरे रंग का खुरदुरा मार्जिन है, जो 1 सेमी0 चौड़ा कालापन है और लगभग 2 सेमी0 टैटू वाला क्षेत्र है। आगे बढ़ने पर (खुलासा/अनावरण) 2.0 X 1.5 सेमी0 माप वाला एक अण्डाकार अस्थि दोष पेरीटल टेम्पोरल हड्डियों में मौजूद होता है, जिसमें टेम्पोरल हड्डी में

कई विदर आचियंग होते हैं (फिशर फ्रैक्चर) जो कि पीछे के हिस्से में पीछे और नीचे की ओर विकिरण (फैलते) होते हैं। खोपड़ी के खोलने पर खोपड़ी की हड्डी की आंतरिक तालिका में भीतरी झुकाव होता है। इसके अलावा, तंत्र मस्तिष्क शोथ को फाड़ देती टेम्पो–पैराटाइल क्षेत्र में मस्तिष्कावरण झिल्लियों तक प्रवेश करती है और बायें सोब्रेम को टक्कर मारती है, जिससे ओसीपीटल हड्डी में एक बाहरी अवसाद होता है, जो कि कई विदर फ्रैक्चर से घिरा होता है। तंत्र के साथ जुटे हुए मस्तिष्क पदार्थ में कई हड्डी चिप्स (टुकड़े) एवं धातु के टुकड़े मौजूद हैं। एक विकृत धातु का टुकड़ा जिसका आकार 1.4 X 1.0 X 1.5 सेमी0 है, जो कि ओसीपीटल हड्डी के बाहरी अवसाद में पश्चकपाल क्षेत्र में मस्तिष्कावरण झिल्लियों में उलझा हुआ है। खोपड़ी के नीचे के बायें फ्रन्टो टेम्पोरो पेरीएटो ओमीपीटल और दायें फ्रन्टल क्षेत्रों में खुन के छीटे मौजूद हैं। सबडयूरल रक्त स्त्राव की फैलती हुई परत बायें मस्तिष्क गोलाई में मौजूद है और दोनों मस्तिष्क गोलार्ध में सबटैक्नोइड रक्तत्राव की फैलती हुई पतली परत मौजूद हैं। मस्तिष्क पदार्थ बहुत ज्यादा भरा हुआ और सृजनयुक्त है।

(2) बायें सीने के बायें भाग के अग्रभाग के नीचले हिस्से में 4 X 3 सेमी0 के क्षेत्र में नीले रंग के घाव (खरोंच) मौजूद हैं।''

10. इस प्रकार, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि पीडब्लू 11 डॉ. संजय कुमार द्वारा न्यायालय के समक्ष शपथ पर जो कुछ भी कहा गया है, वह पोस्टमॉर्टम परीक्षा करते समय उसके द्वारा दर्ज किए गए समकालीन परिणाम से समर्थित है। बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए या इसमें कोई कमी है। इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि मृतक की मृत्यु निश्चित रूप से हत्या की प्रकृति की थी और यह आग्नेयास्त्र के कारण हुई चोट के कारण हुई थी।

11. श्री अरविंद वशिष्ठ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट अर्थात् प्रदर्श ए–5 की अर्न्तवस्तु पर बहुत जोर दिया है, जिसमें पीडब्लू 1 मुकेश कुमार हस्ताक्षरकर्ता थे। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के कॉलम 9 में की गई प्रविष्टि के अनुसार, मृतक संजय रेत देने के लिए मौके पर गया था, जहाँ दो अन्य व्यक्तियों के बीच विवाद था और किसी ने गोली चला दी, जो दुर्घटनावश मृतक को लग गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई। हालाँकि, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में दिया गया ऐसा बयान मौलिक साक्ष्य नहीं है। इसके अलावा, पीडब्लू 1 मुकेश कुमार स्वयं घटना के चश्मदीद गवाह नहीं थे और वे उस सटीक कारण का पता नहीं लगा सकते थे जिसके कारण मृतक को आग्नेयास्त्र से चोट आई थी। इसके

अलावा, पीडब्लू 1 मुकेश कुमार ने ऐसा कोई बयान देने से इनकार किया है। सर्वोत्तम रूप में, इस तरह के बयान को पिछले बयान के रूप में लिया जा सकता है, जिसका उपयोग केवल शिकायतकर्ता–पीडब्लू 1 मुकेश कुमार के बयान का खंडन करने के उद्देश्य से किया जा सकता है।

12. जैसा कि पहले कहा गया है, पीडब्लू1 मुकेश कुमार घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं। उसने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन हुई घटना के गवाह होने के बारे में कुछ नहीं कहा है, इसलिए, भले ही वह विरोधाभाषी हो, पी.डब्लू. 2–रवि कुमार के साक्ष्य पर किसी भी तरह से अविश्वास नहीं किया जाएगा। इसलिए इस न्यायालय की राय है कि भले ही मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की तैयारी के समय, पीडब्लू 1 मुकेश कुमार द्वारा बयान दिया गया हो, जो कि मौलिक साक्ष्य नहीं है, इस मामले के एक चश्मदीद गवाह पीडब्लू 2 रवि कुमार की सत्यता पर अविश्वास नहीं करेगा।

13. **योगेश सिंह बनाम महाबीर सिंह (2017) 11 एस. सी. सी. 195** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 174 के अधीन तैयार की गई मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का साक्ष्यिक मूल्य मौलिक साक्ष्य नहीं है और केवल मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के साक्षियों की सत्यता का परीक्षण करने के लिए देखा जा सकता है। ऐसी रिपोर्ट तैयार करने का उद्देश्य केवल मृत्यु के स्पष्ट कारण का पता लगाना है, अर्थात्, क्या यह आत्महत्या, हत्या, आकस्मिक या जानवरों या मशीनरी आदि के कारण हुई है और यह बताते हुए कि किस तरीके से, या किस हथियार या उपकरण से, शरीर पर चोटें लगी हैं।

14. इसलिए हम विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाए गए दलील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि केवल इसलिए कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में ऐसा बयान है, पीडब्लू 2 रवि कुमार के पूरे साक्ष्य को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अविश्वास किया जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

15. इस मामले में बैलिस्टिक रिपोर्ट साबित हुई है, जिसे प्रदर्श–ए21 के रूप में चिह्नित किया गया है। बैलिस्टिक रिपोर्ट में यह दर्ज किया गया है कि बरामद की गई गोली पर अपर्याप्त विशेष विशेषताएं थीं, लेकिन यह स्वयं इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर नहीं ले जाएगा कि अभियोजन के मामले को अभिलेख को देखते ही अविश्वास किया जाना चाहिए।

16. **गुलाब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन 1211** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गुरचरण बनाम पंजाब राज्य (1963) 3 एस. सी. आर. 585** में अपने पहले के फैसले पर विचार करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसा कोई अनम्य नियम नहीं है कि प्रत्येक मामले में जहां किसी अभियुक्त पर घातक हथियार के कारण हुई हत्या का आरोप लगाया

जाता है, अभियोजन पक्ष का मामला केवल तभी आरोप साबित करने में सफल हो सकता है जब किसी विशेषज्ञ की परीक्षा की जाए। उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले के निर्णय के अनुमोदन के साथ यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे मामलों की कल्पना करना संभव है जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य इस तरह के अकाट्य चरित्र का है और पोस्टमॉर्टम नोट्स द्वारा प्रकट की गई चोट की प्रकृति प्रत्यक्ष साक्ष्य के साथ इतनी स्पष्ट रूप से सुसंगत है कि एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ की परीक्षा को आवश्यक नहीं माना जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया है कि जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य संतोषजनक या निःस्वार्थ नहीं है या जहां बंदूक से चोट आना अभिकथित गया है और वे प्रथमदृष्टया राइफल द्वारा कारित किए गए प्रतीत होते हैं, निस्संदेह स्पष्ट असंगति को ठीक किया जा सकता है या मौखिक साक्ष्य बैलिस्टिक विशेषज्ञ के साक्ष्य द्वारा पुष्टि की जा सकती है। जिन मामलों में, अभियोजन मामले के सबूत के लिए एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ की परीक्षा आवश्यक है, स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होनी चाहिए। रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि उस मामले में ऐसा मामला नहीं था जहां आग्नेयास्त्र या कारतूस की बरामदगी के बावजूद अभियोजन पक्ष बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट पेश करने में विफल रहा हो। इसलिए, बैलिस्टिक विशेषज्ञ द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता, जो किसी विशेष हथियार के कारण होने वाली घातक चोटों को प्रमाणित कर सकता है, प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाहों के विश्वसनीय साक्ष्य पर संदेह करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

17. **हिमांशु मोहन राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (2017) 4 एससीसी 161** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में अपने पहले के फैसले **बृजपाल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2003) 11 एस. सी. सी. 219** को विचार में लिया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि सामान्य रूप से, यदि चश्मदीद गवाह का साक्ष्य आत्यन्तिक रूप स्वीकार्य है, तो ऐसे साक्ष्य को स्वीकार किया जा सकता है, भले ही चिकित्सा या बैलिस्टिक रिपोर्टों में कुछ विरोधाभास हों। हालाँकि, उस मामले में मौखिक साक्ष्य स्वीकार्य नहीं पाए गए। इस मामले में चिकित्सीय साक्ष्य चश्मदीद गवाह के साक्ष्य का समर्थन करते हैं, जो आत्यन्तिक रूप अकाट्य है।

18. इसी प्रकार, **मध्य प्रदेश राज्य बनाम धारा सिंह और एक अन्य (2009) 11 एस. सी. सी. 124** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किन मामलों में अभियोजन संस्करण को आगे बढ़ाने के लिए बैलिस्टिक रिपोर्ट का परीक्षण आवश्यक है, यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि कुछ मामलों की परिस्थितियों

में, बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्राप्त न होने से अभियोजन पक्ष का मामला न्यूनतम रूप से भी प्रभावित नहीं हो सकेगा।

19. इस प्रकार, इस मामले के उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि भले ही बैलिस्टिक विशेषज्ञ मृतक के मस्तिष्क से बरामद गोली के टुकड़ों के बारे में एक निश्चित राय देने में समर्थ नहीं है, जिसे अपीलकर्ता के कब्जे से जब्त किए गए हथियार से दागा गया है, तो भी यह अभियोजन मामले की बुनियाद को नहीं हिलायेगा और यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि केवल इसलिए कि बैलिस्टिक रिपोर्ट अनिर्णायक है, अभियोजन मामले को ठुकरा दिया जाना चाहिए।

20. अंतिम विश्लेषण में, विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष की शुद्धता, पीडब्लू 2 रवि कुमार के कथन के रूप में उपलब्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य के अंतिम विश्लेषण पर निर्भर करेगी। पीडब्लू 2 रवि कुमार ने शपथ पर कहा है कि वह मृतक संजय के साथ–साथ अपीलकर्ता अनुज चौहान से भी परिचित थे। वह पीडब्लू 3 रविंदर कुमार को भी जानता था। पीडब्लू 3 रविंदर कुमार एक नौकरी खोज में था और वह बी.टेक था। इस गवाह ने शपथ पर आगे कहा है कि अपीलकर्ता अनुज चौहान श्रम ठेकेदार का काम कर रहा था और उसने शिवालिक नगर में अपना कार्यालय खोला था। घटना से लगभग छह महीने पहले, पीडब्लू 3 रविंदर कुमार की नौकरी के बारे में बात हुई थी और अपीलकर्ता अनुज चौहान ने आश्वासन दिया है कि उन्हें इस शर्त पर पीडब्लू 3 रविंदर कुमार के लिए नौकरी दिलायेगा कि वह उसे 1,50,000/– रूपये देगा, लेकिन बातचीत पर उन्होंने 70,000/–रूपये की धनराशि पर समझौता किया और मृतक संजय कुमार ने अपीलकर्ता अनुज चौहान को पीडब्लू 3 रविंदर कुमार को नौकरी दिलाने के लिए 70,000/–रूपये दिए। इस गवाह ने आगे कहा है कि अपीलकर्ता अनुज चौहान पीडब्लू 3 रविंदर कुमार के लिए नौकरी नहीं दिला सका और चूंकि पीडब्लू 3 रविंदर कुमार पैसे वापस करने के लिए जोर दे रहा था, इसलिए मृतक संजय ने पैसे वापस करने के लिए अपीलकर्ता अनुज चौहान से संपर्क किया, लेकिन वह उसे वापस करने से बच रहा था। फिर 08.07.2012 को पीडब्लू 2 रवि कुमार और मृतक संजय अपीलकर्ता अनुज चौहान के कार्यालय गए लेकिन उससे पहले वे शिशिर चौधरी (पीडब्लू 6) के कार्यालय गए जहां उन्होंने पीडब्लू 6 शिशिर चौधरी के सामने खुलासा किया कि वे अपीलकर्ता अनुज चौहान से 70,000/– रुपये वापस करने का अनुरोध करने जा रहे हैं। अपीलकर्ता के कार्यालय में आने पर, वह अनुपस्थित था और कार्यालय बंद था। उन्होंने कुछ समय तक इंतजार किया और लगभग 11:00–11:30 पूर्वाहन अपीलकर्ता अनुज चौहान मौके पर पहुंचा और जब मृतक ने पैसे की मांग की, तो अपीलकर्ता ने गाली देना शुरू कर दिया और

गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मृतक संजय हर सुबह पैसे की मांग करता और रोजाना उसका मूड खराब करता। इस गवाह ने आगे कहा है कि अपीलकर्ता की इस तरह की प्रतिक्रिया पर, मृतक ने कहा कि उसे पैसे वापस करने चाहिए और उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इस परिस्थिति में, अपीलकर्ता ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और मृतक को गोली मार दी। गोली मृतक के सिर में लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद, मृतक घायल अवस्था में था। अपीलकर्ता अनुज चौहान के वाहन में उसे भुमा निकेतन अस्पताल ले जाया गया। हालाँकि, पीडब्लू 2 रवि कुमार के पूरे साक्ष्य में, बचाव पक्ष द्वारा एक भी विरोधाभास की ओर इशारा नहीं किया गया है।

21. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि पीडब्लू 2 रवि कुमार के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने कहा है कि मृतक को अपीलकर्ता के वाहन में अस्पताल ले जाया गया था जबकि पीडब्लू 6 शिशिर चौधरी ने कहा है कि मृतक को घटनास्थल से भूमा निकेतन अस्पताल ले जाने के लिए एक अन्य वाहन का उपयोग किया गया था। हालांकि, इस तरह का मामूली विरोधाभास अभियोजन पक्ष के मामले के मूल को प्रभावित नहीं कर रहा है और केवल इसलिए कि पीडब्लू 6 शिशिर चौधरी ने कहा है कि मृतक को एक वाहन में मौके से ले जाया गया था, जबकि पीडब्लू 2 रवि कुमार ने कहा है कि उसे दूसरे वाहन में ले जाया गया था, जो पीडब्लू 2 रवि कुमार के साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा जो मुख्य रूप से सत्य है। यह सत्य है कि पीडब्लू 2 रवि कुमार घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह है और बाकी गवाह घटना के बाद के गवाह हैं लेकिन यह अपने आप में उसके साक्ष्य को संदिग्ध नहीं बनाएगा।

22. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 में कहा गया है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए किसी विशेष संख्या में गवाहों की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त प्रावधान का मूल तात्पर्य यह है कि अभियोजन के मामले को साबित करने के लिए एक या एकमात्र सच्चा गवाह पर्याप्त हो सकता है। कई मामलों में, एक सच्चे साक्षी के साक्ष्य का साक्ष्यिक मुल्य, जैसा कि वह धारित करता है, बहुत से झूठे साक्षियों के साक्ष्यिक मुल्य से भारी हो सकता है। इस प्रश्न पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **वेदिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य, (1957) एस. सी. आर. 981** के मामले में विचार किया गया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एकल गवाह के साक्ष्य की सराहना करने के मानदंड या विचार निर्धारित किए हैं। पहली बार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि गवाहों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह, पूरी तरह से अविश्वसनीय गवाह और न तो पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय गवाह। माननीय

उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां तक प्रथम श्रेणी के गवाहों का संबंध है, न्यायालय के लिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है।

23. इस मामले में, पीडब्लू 2 रवि कुमार को विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा एक विश्वसनीय गवाह माना गया है और अपने निष्कर्ष को दर्ज करते हुए विद्वान सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह विशेष गवाह एक स्वतंत्र गवाह है, उसके पास अपीलकर्ता के खिलाफ विरुद्ध कोई स्वार्थ नहीं है। इस गवाह को यह सुझाव भी नहीं दिया गया है कि उसके पास अपीलकर्ता के प्रति विद्वेषपूर्ण बयान है जो अपीलकर्ता को हत्या जैसे जघन्य अपराध में फंसाने वाला झूठा बयान करने का एक उद्देश्य हो सकता है। इसके अलावा, जैसा कि पहले कहा गया है, इस गवाह के साक्ष्य में एक भी विरोधाभास नहीं है और इस गवाह के साक्ष्य की इस मामले में उपलब्ध चिकित्सा साक्ष्य द्वारा इस अर्थ में विधिवत पुष्टि की गई है, कि मृतक की मृत्यु उसके सिर में लगी आग्नेयास्त्र की चोट के कारण हुई थी।

24. इसके शीर्ष पर, पीडब्लू 3 रविंदर कुमार और पीडब्लू 6 शिशिर चौधरी के साक्ष्य जैसी अन्य सामग्री हैं। पीडब्लू 3 रविंदर कुमार ने शपथ लेते हुए कहा है कि उन्होंने मृतक संजय के माध्यम से अपीलकर्ता अनुज चौहान को 70,000/—रूपये का भुगतान किया, लेकिन अपीलकर्ता ने उसको नौकरी नहीं दिलाई, जैसा कि उसने वादा किया था और धन के पुनर्भुगतान के लिए देरी की रणनीति भी अपनाई। उसने यह भी कहा है कि घटना से लगभग 10—12 दिन पहले उन्होंने पैसे की वसूली के लिए सज्जन लोगों की बैठक बुलाई। पीडब्लू 6 शिशिर चौधरी ने शपथ लेते हुए कहा कि 08.07.2012 को लगभग 11:00—11:30 पुर्वाह्न पर मृतक और पीडब्लू 2 रवि कुमार शिवालिक नगर स्थित उनके कार्यालय में आए और वे अपीलकर्ता अनुज चौहान से पैसे की वसूली के लिए मिलना चाहते थे। इसके बाद, वे अपीलकर्ता अनुज चौहान के कार्यालय गए इसके 5—7 मिनट बाद, उसने गोली की आवाज सुनी और मौके की ओर चला गया। वहां उन्होंने देखा कि लगभग 11:00—11:30 पुर्वाह्न पर मृतक संजय खून से लथपथ पड़ा था और अपीलकर्ता अनुज चौहान हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए था। इसके बाद, भीड़ वहां जमा हो गई और मृतक को गवाह—पीडब्लू 6 शिशिर चौधरी और पीडब्लू 2 रवि कुमार द्वारा भूमा निकेतन अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, वहां से उसे जॉली ग्रांट अस्पताल और फिर एम्स, दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। अगले दिन मृतक ने दम तोड़ दिया। उसने कहा कि मृतक संजय अपीलकर्ता के कार्यालय के सामने पड़ा था।

25. पी.डब्ल्यू. 2 रवि कुमार के साक्ष्य को पी.डब्ल्यू. 13 रामू और पी.डब्ल्यू. 14 विपिन बहुगुणा, अन्वेषण अधिकारी के पवित्र बयान से भी सम्पुष्टि मिली। अभिलेख

से यह स्पष्ट है कि पी.डब्लू. 13 रामू की उपस्थिति में, एक अन्य गवाह पीडब्लू 14 विपिन बहुगुणा ने मौके से रक्तरंजित और साधारण मिट्टी जब्त की, जिसे रासायनिक और सीरोलॉजिकल जांच के लिए भेजा गया था और जांच में पाया गया कि रक्तरंजित मिट्टी मानव रक्त से सनी हुई थी, जो यह स्थापित करता है कि जांच अधिकारी ने इस मामले में वस्तुनिष्ठ रूप से स्थान का अभिनिर्धारण किया है। हालांकि बचाव पक्ष की ओर से कुछ सुझाव दिए गए हैं कि मृतक जिस स्थान से पड़ा था, उसके बारे में विसंगति है। इस न्यायालय की राय है कि जब घटनास्थल से जब्त की गई रक्तरंजित मिट्टी में मानव रक्त पाया गया था, तो स्थान के वस्तुनिष्ठ निर्धारण के बारे में कोई उचित संदेह नहीं होना चाहिए। इस मामले में, हमारी राय है कि पीडब्लू 13 रामू के साथ अन्वेषण अधिकारी का साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि मृतक अपीलकर्ता अनुज चौहान के कार्यालय के सामने घायल अवस्था में पड़ा था।

26. भारतीय न्यायालयों द्वारा चक्षु साक्ष्य को सबसे अच्छा संभव साक्ष्य माना जाता है जिसे उस मामले में पेश किया जा सकता है जहां आरोपी व्यक्ति द्वारा अभिकथित रूप से गंभीर अपराध किया गया है, जब तक कि उस पर संदेह करने के कारण न हों। पीडब्लू 2 रवि कुमार का साक्ष्य अकाट्य है। पीडब्लू 2 रवि कुमार के साक्ष्य में पुलिस के समक्ष उसके द्वारा दिए गए पहले के बयान के साथ कोई भौतिक विरोधाभास नहीं है। उसके साक्ष्य इस मामले में चिकित्सा साक्ष्य से पूरी तरह से समर्थित हैं। घटना के पश्चात् के गवाह पीडब्लू 6 शिशिर चौधरी का बयान है और रविंदर कुमार के लिए नौकरी दिलाने के सम्बन्ध में 70,000/– रुपये भुगतान करने के सम्बन्ध में पीडब्लू 2 रवि कुमार का बयान है। घटना का वस्तुनिष्ठ निर्धारण किया गया है और अपीलकर्ता के कब्जे से 5 जीवित और एक खाली कारतूस के साथ 0.32 कैलिबर रिवॉल्वर की बरामदगी है।

27. इस प्रकार, इस न्यायालय की राय है कि न केवल पी. डब्ल्यू. 2 रवि कुमार का साक्ष्य अकाट्य है, बल्कि पूरी तरह से विश्वसनीय भी है। चिकित्सा साक्ष्य, घटना से पहले और बाद के परिदृश्य, स्थान का निर्धारण और अपराध के कारणों और अपीलकर्ता से रिवॉल्वर की बरामदगी जैसी परिस्थितियाँ इसका सम्यक् समर्थन और सम्पुष्टि करती है। इस न्यायालय की राय है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को अपराधों के लिए दोषी ठहराने में कोई त्रुटि नहीं की है, जैसा कि कहा गया है।

28. हम आगे देखते हैं कि अंतिम विश्लेषण में, एक आपराधिक मामले का निर्धारण, एक विचारण न्यायाधीश के ठोस व्यावहारिक ज्ञान और प्रशिक्षित अंतर्ज्ञान पर निर्भर करता है और इस मामले में, विद्वान सेशन न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों के स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ अपने उचित परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य पर

विचार किया है और एक सही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जिस पर इस अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मामले के उस दृष्टिकोण में, हम यह अभिनिर्धारित करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि अपीलकर्ता ने मृतक की हत्या नहीं की है।

29. जहाँ तक विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह निवेदन कि अपराध हत्या का नहीं है, बल्कि एक गैर इरादतन हत्या है, हमारी राय में केवल इसलिए है कि उसने घायल अवस्था में मृतक को उपचार के लिए भूमा निकेतन अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए अपने वाहन का उपयोग करने दिया, यह आपराधिक मानववध, जो हत्या नहीं है, का मामला नहीं बनेगा।

30. मामले को दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के दायरे में लान के लिए बचाव पक्ष को संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर यह सुस्थापित करना चाहिए कि हत्या बिना किसी पूर्वकल्पना के, अचानक झगड़े में, आवेश की तीव्रता में, अचानक लड़ाई में और अपराधी के अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरता या सामान्य तरीके से कार्य किए बिना की गई थी। सबसे पहले, यह देखा गया है कि इस मामले में आवेश की तीव्रता में अचानक कोई लड़ाई नहीं हुई। 70,000/– रुपये की वापसी को लेकर अपीलकर्ता और मृतक के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा था, जो मृतक ने पीडब्लू 3 रविंदर के लिए नौकरी दिलाने के लिए अपीलकर्ता को भुगतान किया था। इससे पहले भी, उन्होंने धन की वसूली के लिए अपीलकर्ता से संपर्क किया था, लेकिन अपीलकर्ता मामले में देरी कर रहा था। यह अपीलकर्ता ही था जिसने मृतक के साथ दुर्व्यवहार किया। उनके बीच कोई झगड़ा नहीं था। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने इस मामले में अनुचित लाभ उठाया है और मृतक के सिर पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर बहुत क्रूर तरीके से कार्य किया है, जिससे उसकी मौत हो गई।

31. इस प्रकार, इस न्यायालय की राय है कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित किया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की यह दलील कि यह मामला हत्या का मामला नहीं है, बल्कि गैर इरादतन हत्या का मामला है, स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार, अंतिम विश्लेषण में, अपील असफल है और इसलिए खारिज की जाती है। दंड संहिता की धारा 302, 504 और शस्त्र अधिनियम की खंड 27 और 30 के अधीन, के तहत अपराधों के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए अवर न्यायालय का फैसला और इसके लिए दिए गए दंडादेशों को बरकरार रखा जाता है। विचारण न्यायालय के अभिलेखों को तुरंत वापस भेजा जाए।

(रमेश चंद्र खुल्बे, जे.) **(संजय कुमार मिश्रा, जे)**

एसकेएस